संख्या -1620/ II–2006–03(08)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2006

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 में जिला योजना एवं नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 844/मुअवि/बजट/बी–1 (सामान्य)/06 दिनांक 18.03.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के कालम–5 पर अंकित योजना के लिए बजट प्राविधान कम होने के कारण संलग्नक–1 में अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा रू0 591.30 लाख (रूपये पाच करोड़ इक्यानवे लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि जिसका जनपदवार विवरण संलग्नक–2 पर अंकित है को व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा पुनर्विनियोग के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

क्रमश.....2

8– नाबार्ड की योजनाओं पर नाबार्ड द्वारा जिस लागत की योजनायें अनुमोदित है उसी सीमा में ही धनराशि का व्यय करके उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजनावार व्यय का विवरण वित्त अनुभाग–1 एवं नाबार्ड को प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 31.03.2006 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– राज्य सेक्टर व जिला योजना में अनुमोदित प्लान आउटले एवं नियोजन विभाग एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजना/परिव्यय के अनुरूप ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत प्रपत्र 15 पर अंकित लेखाशीर्षक के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–492/XXVII (2)/06 दिनांक 25 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या–1620/I–2006–03(08)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखकार, उत्तरांचल।
2– वित्त अनुभाग–2।
3– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

नियंत्रक अधिकारी–मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि0वि0, उत्तरांचल
अनुदान संख्या–20

प्रशासनिक विभागः– सिंचाई विभाग, उत्तरांचल
वित्तीय वर्ष 2005–06

(अयोजनागत)

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 02/06 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद सतम्भ–1 की कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2705–कमान क्षेत्र विकास, 00–आयोजनागत				4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			(क) प्लान परिव्यय में धनराशि अवमुक्त न होने के कारण। (ख) जिला योजना तथा नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के प्लान परिव्यय के विपरीत बजट व्यवस्था कम होने के कारण।
800–अन्य व्यय				04–नलकूपों का निर्माण			
01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				800–अन्य व्यय			
01–क्षेत्रीय विकास योजनायें (50प्रतिशत के0स0)–00				02–अन्य रख–रखाव			
24–बृहद निर्माण कार्य 35400	17700	15468	2232 (क)	91–नलकूपों का निर्माण (जिला योजना)			
4700–मुख्य सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय				24–बृहद् निर्माण कार्य 18900(ख)	128900	33168	
05–सिंचाई विभाग की नई योजनायें				06–निर्माणाधीन सिंचाई/अन्य सिंच योजनायें (जि0यो0)			
800–अन्य व्यय				800–अन्य व्यय			
01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				02–अन्य रख रखाव			
0195–ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (75 प्रतिशत के0स0)–00				91–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें			
24–बृहद निर्माण कार्य 120000	50238	48650	21112(क)	24–बृहद् निर्माण कार्य 26400(ख)	173900	98888	
4700–मुख्य सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय				07–उत्तरांचल की लघुडाल नहरों व पुनरोद्धार			
12–जल स्रोतों का पुनर्निर्माण							
800–अन्य व्यय				800–अन्य व्यय			
02–अन्य रख–रखाव व्यय				02–अन्य रख रखाव			
0201–पेयजल स्रोतों का पुनर्निर्माण				01–निर्माण कार्य			
24–बृहद निर्माण कार्य 26530		–	26530(क)	24–वृहद् निर्माण 13830(ख)	25800	–	

लेखाशीर्षक का विवरण		मदवार अद्यावधिक व्यय 02/06 तक	के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	सरप्लस धनराशि	की जानी है	के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	के बाद सतम्भ–1 की कुल धनराशि	
1		2	3	4	5	6	7	8
4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय								
01–बाढ़ नियंत्रण								
103–सिविल निर्माण कार्य								
01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें								
01–नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें								
24–बृहद निर्माण कार्य	70800	24833	36665	9302		–	*61544*	
योग	*257700*	*97741*	*100703*	*59176*	*59130*	*328600*	*193600*	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट अनुमान परिच्छेद 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नही होता है ।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्याः – 492(क)/XXVII(2)/2005–06
देहरादून दिनांक 25 मार्च, 2006

सेवा में,

महालेखाकार उत्तरांचल, देहरूदन ।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सं0– /।।–2006–03(08)/05 दिनांक मार्च, 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
2– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
3– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल ।

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव (वित्त)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

	800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव 91–नलकूपों का निर्माण (जिलायोजना) 24–वृहत निर्माण कार्य			800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव 91–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 24–वृहत निर्माण कार्य			07–उत्तरांचल की लघुडाल नहरों का पुनरोद्धार 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव 01–निर्माण कार्य 24–वृहत निर्माण कार्य			योग कालम 5, 8 एवं 11
	आवंटन			आवंटन			आवंटन			
	जिला योजना	नाबार्ड पोषित योजना	योग	जिला योजना	नाबार्ड पोषित योजना	योग	जिला योजना	नाबार्ड पोषित योजना	योग	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ताल	–	30.00	30.00	23.00	–	23.00	30.60	–	30.60	83.60
मसिंहनगर	–	10.00	10.00	20.00	–	20.00	–	–	–	30.00
ादून	–	100.00	100.00	125.00	–	125.00	–	–	–	225.00
री	–	–	–	32.00	–	32.00	–	–	–	32.00
ली	–	–	–	–	–	–	16.80	–	16.80	16.80
रकाशी	–	–	–	42.00	–	42.00		81.90	81.90	123.90
प्रयाग	–	–	–	22.00	–	22.00	9.00	–	9.00	31.00
द्वार	–	49.00	49.00	–	–	–	–	–	–	49.00
	–	**189.00**	**189.00**	**264.00**	–	**264.00**	**56.40**	**81.90**	**138.30**	**591.30**

(रूपये पांच करोड़ इक्यानबे लाख तीस हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव